''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2001—पौष 3, शक 1923

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 5815/2/96/11.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का गठन करता है.

2. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा-एक एवं उपधारा-दो के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों का नामांकन किया गया. फलस्वरूप वक्फ बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को धारा 14 (9) के अंतर्गत राज्य सरकार सदस्य नियुक्त करता है :—

(1)	श्री मोहम्मद याकूब राजवानी, पूर्व विधायक, महासमुन्द	-	सदस्य
(2)	श्री इमरान मेमन, पूर्व विधायक, खुज्जी क्षेत्र, राजनांदगांव	-	सदस्य
(3)	श्री बदरूद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई विधान सभा क्षेत्र	-	सदस्य
(4)	श्री मोहम्मद अकबर, विधायक, विरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र	-	सदस्य
(5)	श्री हाजी मोहम्मद, शाहिद, हुसैन, एडव्होकेट, रायपुर	-	सदस्य
(6)	श्री जहीर मोहम्मद, एडव्होकेट, 334 एल. आई. जी. पद्मनाभपुर, दुर्ग	-	सदस्य
(7)	श्री हाजी मोहम्मद सलीम असरफी, मुतवल्ली, मौदहापारा, रायपुर	-	सदस्य
(8)	श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, पचपेड़ीनाका, दावड़ा कालोनी एल.आई.जी. 12 लक्ष्मीनगर, रायपुर.	-	सदस्य
(9)	श्री मौलाना अकबर अली फारूकी, मदरसा, बैजनाथपारा, रायपुर	-	सदस्य

(10) श्री हाफिज मोहम्मद आजम, पेश ईमाम, कासिमपारा, मस्जिद, बिलासपुर — सदस्य

टीप :—अन्य दो सदस्यों (मुतवल्ली) का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जावेगा.

3. अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिंज, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001